26. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

27. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

28. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य कीडा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

29. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य कीडा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

30. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

31. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

32. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

33. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम अनुपूरक अनुदान मागें प्रस्तुत करेंगे।

34. दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-05 के संबंध में श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वन गुज्जर जिनकी आजीविका का साधन पशुपालन ही है, उन्हें वनों में पशु चुगान और लौपिंग के परमिट निर्गत किये जाने विषयक सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

35. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाऐं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

भराड़ीसैंण :
दिनांक :21 अगस्त, 2024

(हेम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

13. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

14. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

15. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

16. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के संगत नियमों के अधीन समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, यथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति में कार्य करने के लिए माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है। इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।"

17. मुख्यमंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 जो कि दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पुरःस्थापित हुआ तथा उसी तिथि को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।"

18. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

19. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

20. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

21. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

23. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

24. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

25. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

(3) उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का पाचवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का छठ्वां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986} (संशोधन) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का सातवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का आठ्वां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का नौवां अधिनियम बन गया।

9. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

10. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र डोईवाला, जनपद देहरादून के अन्तर्गत टिहरी बांध परियोजना से सम्बन्धित पुनर्वास स्थलों की लम्बित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु गठित संयुक्त परीक्षण समिति (दिनकर कमेटी) के द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में" श्री वेताल सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री जूरा सिंह, ई-49, ग्राम व पो0 कोटी-अठूरवाला देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र डोईवाला, जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दूधली खट्टापानी में सिंचाई नहर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री राजेन्द्र क्षेत्री पुत्र स्व0 श्री पदम बहादुर, दूधली बड़कली देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत सिंचाई संस्थान, रूड़की के सामने बने ऐतिहासिक नीले पैदल पुल का विशेषज्ञों की टीम द्वारा निरीक्षण किये जाने एवं पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अंकित कुमार, डी-10, प्रशासनिक भवन, जादूगर रोड़ रूड़की, हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 31 श्रावण, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 22 अगस्त, 2024)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख "**)
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2024 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
5. वन मंत्री, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अध्याय-5 की धारा-26(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष, 2020-21 के आर्थिक चिट्ठें के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. मुख्यमंत्री "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए" (प्रतिवेदन संख्या-01 वर्ष 2024) एवं "राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए" (प्रतिवेदन संख्या-02 वर्ष 2024) को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. मुख्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।
8. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 विधेयक जो विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का तृतीय अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2024 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2024 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष, 2024 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।